

# मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यातायात विभाग

सं. टीएम/बी/11-2/23 ऑफ 2009-10

दिनांक : 6 अक्टूबर 2017

## परिपत्र

सचिव,  
बृहन्मुंबई सीमाशुल्क ब्रोकर्स संघ  
सचिव,  
मुंबई एवं न्हावा शेवा शिप एजंट संघ  
सचिव,  
इंडियन नॅशनल शिप ओनर्स असोसिएशन  
सचिव,  
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया सेलिंग वेसल्स असोसिएशन  
ऑल शिपींग एजंट्स  
इंडियन बार्ज ओनर्स असोसिएशन  
शिप एजंट ओनर्स मॅनेजरस चार्टरर्स ऑपरेटर्स  
सचिव,  
मुंबई जलवाहतुक अॅण्ड औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित  
अध्यक्ष,  
ऑल इंडिया पॅसेंजरस असोसिएशन

**विषय : रो-रो पॅक्स सुविधा निर्माण करने के लिए फेरी व्हार्फ जेटी क्र .३ खाली रखना**

रो-रो पॅक्स सेवा आसान करने के लिए फेरी व्हार्फ जेटी क्र .३ (भूतपूर्व मोगल जेटी )स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करने का कार्य मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (मुंबोर्ट) ने शुरू किया है . जो मांडवा और नेरूल सहित मुंबई से जोडा जायेगा . यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो मुंबई से नवी मुंबई/अलीबाग सफर करने वाले यात्रियों का परिवहन संकट कम करेगी क्योंकि वे अपने निजी वाहनों के साथ यात्रा करने के स्थिति में रहेंगे और रो-रो पॅक्स सुविधा उपलब्ध होने के कारण काफी समय तथा इंधन बचा पायेगे .

- २ . उपरोल्लिखित परियोजना का काम शुरू को चुका है किन्तु विषयाधीन फेरी व्हार्फ जेटी क्र .३ पर क्राफ्टस् की बर्थिंग कार्य में बाधा डाल रहा है .
- ३ . यह पाया गया है कि पोर्ट और यातायात विभाग के अधिकारियों द्वारा फेरी व्हार्फ क्र .३ पर क्राफ्टस की बर्थिंग न करने का बारम्बार अनुरोध/सुचनॉए करने के बावजूद विविध बार्ज मालिक/चालक आदी ने फेरी व्हार्फ जेटी क्र .३ स्थित अनाधिकृत रूप से उनके क्राफ्टस बर्थिंग करना जारी रखा है .

- ४ . उक्त को देखते हुए, संबंधित जेटी के विस्तारित क्षेत्र पर आपके सदस्यों को उनके क्राफ्टस बर्थिंग न करने की सूचना देने का आपसे अनुरोध किया जाता है . चुकने पर गलति करने वाले जहाज एजन्ट्स/बार्ज मालिक/टग चालकों आदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी, जिसमें कंपनी को ब्लॉक सूची में डालना अथवा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया क्राफ्ट के लायेंसंट को रद्द करना शामिल है .

**यातायात प्रबंधक**